दूरभाष
कार्यालय (07805) – 234541
निवास (07805) – 244110
फैक्स (07805) – 234540
email-dmsingrauli-mp@mail.nic.in

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,जिला–सिंगरौली(म.प्र.)

सिंगरौली दिनांक 06 अक्टूबर 2018

आदेश

(अंतर्गत धारा –144, द.प्र.सं.1973)

क्रमांक/ 1022/आर.डी.एम./निर्वाचन/2018, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेसनोट क्रमांक ECI/PN/66/2018 Dated 06 October, 2018 के द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन, 2018 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की दी गई है। निर्वाचन कार्यक्रमों की घोषणा हो जाने के फलस्वरूप सम्पूर्ण मध्यप्रदेश सहित जिला सिंगरौली में भी दिनांक 06 अक्टूबर 2018 से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। विधानसभा निर्वाचन के परिपेक्ष्य में चुनाव प्राचार-प्रसार, रैली, आमसभा, का आयोजन उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं के द्वारा सिंगरौली जिले के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर किया जावेगा। चुनाव प्राचार-प्रसार के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों/ उम्मीदवारों के समथकों के मध्य विवाद होने की आशंका है। ऐसी स्थिति में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था तथा परिशांति बनाये रखने के लिये जनहित में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के पर्याप्त आधार हैं तथा अपरिहार्य परिस्थितियां विद्यमान हो गई हैं कि तत्काल आदेश पारित किया जाना आवश्यक एवं प्रसंग की तात्कालिक आवश्यकता की दृष्टि से यह आदेश पारित करना अपरिहार्य हो गया है।

2- अतः मैं अनुराग चौधरी, जिला मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली एतद् द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के प्रावधानों के अंतर्गत आदेश देता हूँ कि इस आदेश को प्रभावशील रहने की अवधि तक –

I. *कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति, जुलूस, रैली या आमसभा आदि का आयोजन न करें और न संचालन करें तथा न ही उसमें सम्मिलित हों। यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसा करना आवश्यक हो तो आयोजन की तिथि के न्यूनतम 02 (दो) दिवस पूर्व आयोजन स्थल की सम्पूर्ण जानकारी सहित संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें एवं नियमानुसार अनुमति प्राप्त किये जाने के बाद ही आयोजन करें।*

II. *कोई भी व्यक्ति अपने आग्नेयास्त्र, जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, एम.एल. गन, बी.एल.गन, कारतूस आदि एवं अन्य तेज धार वाले घातक अस्त्र जैसे फरसा, तलवार, भाला, चाकू, छूरा, बरछी, लोहगी आदि लेकर न चलेगा और न ही उसका उपयोग करेगा या सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करेगा।*

III. *कोई भी व्यक्ति लाठी, डण्डा आदि अपने साथ लेकर नहीं चलेगा और न ही उसका उपयोग करेगा।*

IV. *उपरोक्त कण्डिका (i) के प्रयोजन के लिये "समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों" को उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत "विहित प्राधिकारी" घोषित किया जाता है। समस्त जुलूस, रैली, आमसभा आदि का आयोजन केवल विहित प्राधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकेगा।*

*V. विधान सभा निर्वाचन, 2018 हेतु आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील रहने के दौरान आयोजित होने वाले **दशहरा, नवदुर्गा, दीपावली, मिलाद-उन-नवी एवं गुरुनानक जयंती** आदि त्यौहारों के आयोजन हेतु यदि धार्मिक परम्परा के अनुसार आम सभा, जुलूस एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की आवश्यकता हो तो संबंधित आयोजकों को आयोजन के कम से कम 02 दिवस पूर्व संबंधित "विहित प्राधिकारी" के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर नियमानुसार अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।*

3- यह आदेश निम्नलिखित व्यक्तियों /आयोजनों पर लागू नहीं होगा :-

I. मजिस्ट्रेट (ड्यूटी पर)

II. शासकीय सेवक (ड्यूटी पर)

III. सुरक्षाबल, प्रांतीय सशस्त्रबल, मध्यप्रदेश पुलिस, होमगार्ड, राज्य तथा केन्द्रीय सुरक्षाबल के सदस्यों, बैंक के सुरक्षा गार्डो तथा पर जो कि कानून व्यवस्था /सुरक्षा ड्यूटी हेतु अपने पास हथियार रखने के लिये अधिकृत किये गये गये हैं।

IV. जिले में स्थित सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के सुरक्षा कर्मियों पर।

V. सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों पर जिनकी धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण साथ में रखने की परम्परा है।

VI. अन्य व्यक्ति जिनको मेरे द्वारा या मेरे द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा अनुमति पत्र दिया गया हो।

4- यह आदेश सर्व साधारण को सम्बोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि जनसामान्य तथा राजनैतिक दल या अभ्यर्थियों के कार्यकर्ताओं, समर्थकों को जिन्हें यह आदेश निर्दिष्ट है, को व्यक्तिशः सूचना सम्यक समय में तामील कराया जाना एवं उनकी सुनवाई किया जाना सम्भव नहीं है अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(2) के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से यह आदेश पारित किया जाता है।

5- यह आदेश सम्पूर्ण ज़िला सिंगरौली में निवास करने वाले एवं आने-जाने वाले व्यक्तियों पर दिनांक 06 अक्टूबर 2018 को अपरान्ह 05:00 बजे से दिनांक 13 दिसम्बर 2018 को अपरांन्ह 05:00 बजे तक प्रभावशील रहेगा।

6- पुलिस अधीक्षक सिंगरौली कृपया इस आदेश को संबंधित थाना प्रभारियों के माध्यम से प्रचार-प्रसार तथा परिपालन सुनिश्चित करायेंगे। इस आदेश की सूचना सर्व साधारण जनता को पूरे जिले में ध्वनि-विस्तारक यंत्रों द्वारा की जावे एवं आदेश की प्रति का प्रकाशन जिला कार्यालय, तहसील कार्यालयों, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय, सम्बंधित पुलिस थाना के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावे एवं दैनिक समाचार पत्रों में भी इसका प्रकाशन समाचार के रूप में जनसम्पर्क विभाग द्वारा किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 06 अक्टूबर 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(अनुराग चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट
ज़िला-सिंगरौली(म0प्र0)

पृ0क्रमांक/1023/आर.डी.एम./निर्वाचन/2018, सिंगरौली दिनांक 06 अक्टूबर 2018

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0 भोपाल।
2. सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग वल्लभ भवन भोपाल।
3. कमिश्नर, रीवा सम्भाग रीवा।
4. आई.जी. रीवा रेंज रीवा।
5. पुलिस अधीक्षक, सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया थाना प्रभारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला सिंगरौली।
7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) समस्त जिला सिंगरौली।
8. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सिंगरौली।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (समस्त) आदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
10. तहसीलदार/ अतिरिक्त तहसीलदार/ नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट समस्त जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. थाना प्रभारी (समस्त) .... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार स्थानीय स्तर पर भी करावें।
12. मान्यता प्राप्त/गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल.................................. समस्त की ओर सूचनार्थ।
13. जिला जनसम्पर्क अधिकारी जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशानार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट

जिला-सिंगरौली(म0प्र0)